रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

भारत सरकार मुद्रणालय.................
से दिनांक...................को प्राप्त।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1999 (भाद्रपद 6, 1921)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1999 (BHADRA 6, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुम्बई, दिनांक 21 अगस्त 1999

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र में सं० 67 के अन्तर्गत यथासंशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण में जून 1999 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गए संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुम्बई को संसूचित करें।

सत्यापित
3-2-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया

जामिआ नगर,

नई दिल्ली—110025, दिनांक

"जामिआ मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988, की धारा 24(2) के अन्तर्गत उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ने 25–2–1999 को हुई अपनी बैठक के संकल्प सं० 3 (ख) (2) में संविधि 15 (1) के खण्ड (vii) को संशोधित करने का संकल्प किया। संशोधित संविधि निम्नानुसार होगी। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पत्र सं० घ० 6–10/99 डेस्क (यू) दिनांक 14–6–99 द्वारा संप्रेषित कुलाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।"

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम (1988) की संशोधित संविधि 15 (1) (vii)

संविधि 15 (1) (vii)

(vii) : संस्थाओं के प्राचार्य और अध्यक्ष (स्कूलों को अपवर्जित करके)

ह०/- अपठनीय
रजिस्ट्रार

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1999

सं० एम० सी० आई०–34(41)/98–मैड —भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये विनियम आयुर्विज्ञान कालेज स्थापना विनियम, 1999 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो मेडिकल कालेज से अभिप्रेत है कोई संस्थान, जिससे किसी भी नाम से जाना जाए, जिसमें कोई व्यक्ति किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है या प्रशिक्षण पाता है जो उसे मान्यता प्राप्त स्नातक आयुर्विज्ञान अर्हता पाने के लिए अर्हक बनाता है।

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्तियों जो परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, इनका अर्थ क्रमशः वही होगा।

3. आयुर्विज्ञान कालेज की स्थापना —कोई भी व्यक्ति आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित नहीं करेगा सिवाए इसके कि इन विनियमों के साथ संलग्न योजना प्रस्तुत कर केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति ली हो।

आयुर्विज्ञान कालेज की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने के लिए योजना

इस योजना के अधीन सभी आवेदन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011 को किसी वर्ष विशेष की पहली अगस्त से 31 अगस्त तक (दोनों दिवस सम्मिलित) प्रस्तुत किए जाएंगे।

1. पात्रता मानदण्ड—

नया आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति के लिए निम्नलिखित संगठन फार्म–1 में आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात् :—

(1) राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र;

(2) विश्वविद्यालय;

(3) केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा अथवा विधान द्वारा समर्थित स्वायत् निकाय जो आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रयोजन के लिए है;

(4) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा राज्यों के तदनुरूपी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां; अथवा

(5) न्यास अधिनियम 1882 (1882 का 2) अथवा वक्फस अधिनियम, 1954 (1954 का 29) के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक धार्मिक अथवा धर्मार्थ न्यास।

2. अर्हक मानदण्ड —पात्र व्यक्ति यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं तो वे आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन देने के अर्हक होंगे —

(1) आवेदक स्वायत निकाय, पंजीकृत सोसायटी अथवा धर्मार्थ ट्रस्ट होने की स्थिति में आयुर्विज्ञान शिक्षा उद्देश्यों में से एक है।

(2) आवेदक के पास कालेज के निर्माण के लिये, 25 एकड़ क्षेत्रफल का समूचा एक भूखण्ड, का स्वामित्व और कब्जा हो या फिर 99 वर्ष का पट्टा हो।

(3) प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने, परिषद के विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध होने सम्बन्धी व्यक्ति विशेष ने सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन से फार्म–2 में अनिवार्यतः प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

सत्यापित
3-2-16
सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(4) आवेदक ने प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ता की सहमति ले ली है।

(5) आवेदक प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज के परिसर में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यथा-निर्धारित आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित 300 बिस्तरों से अधिक के एक अस्पताल का स्वामी हो और प्रबन्धन करता हो और शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता हो।

(6) प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज में आवेदक ने छात्रों को प्रवेश न दिया हो।

(7) उक्त विशेष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की दो निष्पादन बैंक गारण्टियां भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पक्ष में दे, जो पांच वर्ष के लिये वैध हों। इनमें से एक एक सौ लाख रुपये की राशि की (50 प्रवेश के लिये), एक सौ पचास लाख रुपये की राशि की (100 प्रवेश के लिये), दो सौ लाख रुपये की राशि की (वार्षिक 150 प्रवेश के लिये), आयुर्विज्ञान कालेज और संरचनात्मक सुविधायें स्थापित करने के लिये और दूसरी शिक्षण अस्पताल और संरचनात्मक सुविधायें स्थापित करने के लिये क्रमशः 350 लाख रुपये (400 बिस्तर के लिये), 550 लाख रुपये (500 बिस्तर के लिये) और 750 लाख रुपये, (750 बिस्तर के लिये) हो:

"आवेदक" राज्य सरकार/संघ शासित शासन होने की स्थिति में उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी बशर्ते कि वे उनके द्वारा उल्लिखित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से सुविधायें उपलब्ध कराये जाने तक नियमित रुप से उनके प्लान बजट में निधियां उपलब्ध कराये जाने का वचन दें।

(8) किराये अथवा भाटक पर लिये हुए भवन में आयुर्विज्ञान कालेज खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आयुर्विज्ञान कालेज केवल उसी भूखण्ड पर स्थापित किया जा सकेगा जैसा कि इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किया गया है।

3. फार्म तथा प्रक्रिया:—उपर्युक्त पात्रता तथा अर्हक मानदण्डों को पूरा करने की शर्त के अधीन आवेदक, फार्म-1 में निम्नलिखित भागों में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

भाग-1

आवेदन के भाग-1 में आवेदक के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात् :—

(1) पात्रता मानदण्ड की शर्तों के सन्दर्भ में आवेदक की स्थिति;

(2) आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें तथा आवेदक की प्रबन्धकीय व वित्तीय क्षमताओं से संबंधित सूचना (आवेदक राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र न होने की स्थिति में पिछले तीन वर्ष का तुलन-पत्र)।

(3) पैरा-2 में अर्हकता मानदण्ड में यथा-निर्धारित आवश्यक प्रमाण पत्र/प्रलेख।

भाग-2

(1) आयुर्विज्ञान कालेज का नाम तथा पता।

(2) आकृति सर्वेक्षण तथा पर्यावरणीय विश्लेषण :—(क) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान शिक्षा नीति, (ख) प्रशिक्षित आयुर्विज्ञान मानव शक्ति की आवश्यकता तथा उपलब्धता, (ग) अन्तरण विश्लेषण तथा अन्तरण को कैसे कम किया जायेगा, (घ) प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज के लिये रोगियों के सन्दर्भ में आवाह क्षेत्र, (ङ) आवाह क्षेत्र में उपलब्ध अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/निजी क्लीनिकों की संख्या, (च) प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज की स्थापना से विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं का संवर्धन कैसे हो सकेगा।

(3) स्थल विशिष्टिता तथा बाह्य सम्पर्क उपलब्धता—(क) स्थल आकृति, (ख) भूखण्ड आकार, (ग) अनुमेय तल स्थान-सूचक, (घ) भू-आच्छादन, (ङ) भवन-ऊंचाई, (च) सड़क पहुंच, (छ) सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता, (ज) विद्युत-आपूर्ति, (झ) जल आपूर्ति, (ञ) मलव्ययन कनेक्शन तथा (ट) संचार सुविधायें।

(4) शैक्षिक कार्यक्रम—(क) विद्यार्थियों की प्रस्तावित वार्षिक भर्ती, (ख) प्रवेश मानदण्ड, (ग) भर्ती की रीति, (घ) सीटों का आरक्षण/अधिमानिक आवंटन, (ङ) विभागवार, तथा वर्षवार अध्ययन का पाठ्यक्रम।

(5) शिक्षा कार्यक्रम—(क) विभागवार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षायें, तथा (ख) क्षेत्र-वितरण और कक्षवार सीट क्षमता।

(6) उपस्कर कार्यक्रम—कक्षवार (क) आयुर्विज्ञान, (ख) वैज्ञानिक, तथा (ग) सम्बन्ध उपस्करों की मात्रा तथा विशिष्टियों सहित वार्षिक अनुसूची सहित पूर्ण सूची।

(7) मानव शक्ति कार्यक्रम—(क) अध्यापन स्टाफ (पूर्णकालिक), (ख) तकनीकी स्टाफ, (ग) प्रशासनिक स्टाफ, (घ) आनुषंगिक स्टाफ, (ङ) वेतन ढांचा, (च) भर्ती क्रियाविधि तथा (छ) भर्ती कैलेंडर की विभागवार और वर्षवार आवश्यकतायें।

सत्यापित
3-2-16

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54

(8) भवन निर्माण कार्यक्रम—(क) आयुर्विज्ञान कालेज, (ख) संकाय व स्टाफ के मकान, (ग) स्टाफ तथा विद्यार्थी छात्रावास, (घ) प्रशासनिक कार्यालय, (ङ) पुस्तकालय, (च) आडिटोरियम, (छ) पशुघर, (ज) शवगृह, (झ) सांस्कृतिक एवं मनोरंजन केन्द्र तथा (ञ) खेलकूद परिसर आदि का निर्मित क्षेत्र।

(9) योजना एवं अभिविन्यास—(क) आयुर्विज्ञान कालेज परिसर का मास्टर प्लान, (ख) अभिविन्यास प्लान अनुभाग, तथा (ग) आयुर्विज्ञान कालेज तथा आनुषंगिक भवन आदि की तलवार क्षेत्र गणना और ऊंचाई।

(10) चरणबद्धता तथा अनुसूचीबद्धता—गतिविधियों की माहवार अनुसूची—(क) भवन अभिकल्पना का आरम्भ एवं निष्पत्ति, (ख) स्थानीय निकायों का अनुमोदन, (ग) सिविल निर्माण, (घ) इंजीनियरी सेवाओं तथा उपस्करों की व्यवस्था (ङ) स्टाफ की भर्ती, (च) आरम्भ चरणबद्धता।

(11) परियोजना लागत—(क) भूखण्ड की पूंजीगत लागत, (ख) भवन, (ग) संयंत्र एवं मशीनरी,ज (घ) आयुर्वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा आनुषंगिक उपस्कर, (ङ) फर्नीचर तथा जुड़नार, (च) प्राथमिक एवं प्रचालन पूर्व व्यय।

(12) परियोजना वित्त पोषण के साधन—(क) आवेदक का अंशदान, (ख) अनुदान, (ग) दान, (च) शेयर सम्या, (ङ) सावधि ऋण, (च) अन्य स्रोत, यदि कोई है।

(13) राजस्व पूर्वानुमान—(क) शुल्क ढांचा, (ख) विभिन्न स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व।

(14) व्यय पूर्वानुमान—(क) प्रचालन व्यय, (ख) मूल्यह्रास।

(15) प्रचालन परिणाम—(क) आय विवरण, (ख) रोकड़ प्रवाह विवरण, (ग) प्रक्षिप्त तुलना-पत्र।

टिप्पणी—कालम 4 से 8 के लिये—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के नार्म्स व इसके सामने संरचनात्मक संकार्य की उपलब्धता और/अथवा उपलब्धता के प्रस्ताव के तुलनात्मक विवरण संलग्न किये जायें।

भाग-3

(1) मौजूदा अस्पताल का नाम व पता।

(2) मौजूदा अस्पताल के विवरण—(क) बिस्तर संख्या, (ख) बिस्तर वितरण और क्या प्रति विद्यार्थी 5 रोगियों के स्थापित नार्म्स की अनुपालना हो पायेगी, (ग) निर्मित क्षेत्र, (घ) नैदानिक एवं परा नैदानिक विधायें, (ङ) बहिरंग रोगी विभाग तथा विभागवार बहिरंग रोगी विभाग में उपस्थिति, (च) वास्तुकला तथा अभिविन्यास योजना, (छ) आयुर्विज्ञान/सम्बद्ध उपस्करों की सूची, (ज) इंजीनियरी सेवाओं की क्षमता व संरूपण (झ) अस्पताली सेवायें, प्रशासनिक सेवायें तथा, (ञ) अन्य आनुषंगिक तथा सहायक सेवायें, (ट) वर्गवार स्टाफ संख्या।

अपग्रेडिशन तथा विस्तार कार्यक्रम—

(3) मौजूदा अस्पताल के विस्तार के लिये अतिरिक्त भूमि से संबंधित ब्यौरे—(क) भूमि के ब्यौरे, (ख) प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज से दूरी. (ग) भूखण्ड आकार, (घ) भूमि का अधिकृत उपयोग (ङ) भौगोलिकता, (च) मिट्टी की प्रकार/दशा, (छ) सड़क पहुंच, (ज) सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता, (झ) विद्युत आपूर्ति, (ञ) जल आपूर्ति, (ट) मलव्ययन कनेक्शन, तथा (ठ) संचार सुविधाएं।

(4) अपग्रेडीकृत आयुर्विज्ञान कार्यक्रम—विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त नैदानिक तथा परा नैदानिक विधाओं के लिये वर्षवार ब्यौरे।

(5) अपग्रेडीकृत कार्यात्मक कार्यक्रम—(क) विशेषज्ञतावार तथा सेवावार कार्यात्मक अपेक्षायें, (ख) क्षेत्र वितरण, (ग) विशेषज्ञतावार बिस्तर वितरण।

(6) भवन विस्तार कार्यक्रम—(क) स्टाफ, (ख) स्टाफ आवास, (ग) स्टाफ विद्यार्थी छात्रावास, तथा (घ) अन्य आनुषंगिक भवनों के लिये वर्षवार अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराना।

(7) योजना तथा अभिविन्यास—अस्पताल परिसर की अपग्रेडीकृत मास्टर प्लान (क) अभिविन्यास योजना (ख) अनुभाग, (ग) ऊंचाई, (घ) अस्पताल की तलवार क्षेत्र गणना, तथा (ङ) आनुषंगिक भवनों, सहित।

(8) इंजीनियरी सेवाओं की क्षमता तथा संरूपण और अस्पताली सेवाओं का अपग्रेडेशन अथवा परिवर्धन।

(9) उपस्कर कार्यक्रम—आयुर्विज्ञान तथा सम्बद्ध उपस्करों, (ख) प्रमात्रा अनुसूची तथा (ग) विशिष्टियों को अपग्रेडीकृत कक्षवार सूची।

(10) अपग्रेडीकृत मानव शक्ति कार्यक्रम—(क) आयुर्विज्ञान स्टाफ, (ख) परा-आयुर्विज्ञान स्टाफ, (ग) अन्य स्टाफ का वर्गवार वितरण।

(11) विस्ताल योजना की चरणबद्धता तथा अनुसूचीबद्धता—गतिविधियों की माहवार अनुसूची जिसमें (क) भवन अभिकल्पना का आरम्भ तथा निष्पत्ति

सत्यापित
3-2-14

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54